पत्रांक 2391 /

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

प्रेषक,

उपेन्द्र प्रसाद सिंह (भा0पु0से0),
राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक– 03/07/2017.

विषय :– बिहार अग्निशमन सेवा के विभिन्न अग्निशामालयों हेतु आयरन फोल्डिंग कॉट की खरीद के लिए निविदा आमंत्रण सूचना– 03/2017–18 के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि बिहार अग्निशाम सेवा के विभिन्न अग्निशामालयों हेतु आयरन फोल्डिंग कॉट की खरीद से संबंधित निविदा कुल 05 पृष्ठों मे सी0डी0 सहित संलग्न है ।

अतः अनुरोध है कि इस निविदा को बिहार के सभी प्रमुख समाचार पत्रों एवं अन्य बाहरी प्रमुख समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करने की कृपा की जाय । निविदा का प्रकाशन का अनुरोध वाणिज्य गुप्तचर एवं सांख्यिकी, कलकत्ता से भी करें ताकि इसका प्रकाशन इण्डियन ट्रेड जर्नल (आई0टी0जे0) में भी किया जा सके, जैसा कि बिहार वित्तीय (संशोधन) नियमावली– 2005 के नियम 131 (ज) (1) में वर्णित है ।

विश्वासभाजन,

3/7/17

(उपेन्द्र प्रसाद सिंह)

पत्रांक 2391 /पटना, दिनांक– 03/07/2017.

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को बिहार अग्निशमन सेवा के विभिन्न अग्निशामालयों हेतु आयरन फोल्डिंग कॉट का क्रय हेतु प्रकाशित निविदा की प्रति गृह विभाग के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सी.डी. सहित आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।

3/7/17

(उपेन्द्र प्रसाद सिंह)

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बुद्ध मार्ग, पटना।

निविदा आमंत्रणत्र सूचना संख्या–03/2017–18

1. विभाग का नामः– बिहार अग्निशमन सेवा, गृह विभाग (आरक्षी शाखा)।
2. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता– राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय – दिनांक – 28.07.2017 – 12:00 बजे दोपहर तक.
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय – दिनांक – 28.07.2017 – 12:30 बजे अप्राह्न
5. निविदा प्राप्ति का स्थान– बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय, छज्जूबाग, बिहार, पटना– 800001 के कार्यालय भवन में मुख्य द्वार पर रखी निविदा पेटी (अन्य माध्यम/कुरियर/डाक से भेजा गया निविदा स्वीकार नहीं होगा) ।
6. कार्य का ब्योरा– आयरन फोल्डिंग कॉट क्रय कुल–877

आयरन फोल्डिंग कॉट का विशिष्टियाँ

1. 38x38x5 एम0एम0 का आई0एस0 2062/2006 गुणस्तर का आयरन का बना फ्रेम होगा।

2. इस फ्रेम की चौड़ाई में दो सर्पोटर 25x25x3 एम0एम0 का, एम0एस0 प्लेट लगा हुआ होगा।

3. बेड का स्टील फ्रेम अच्छी तरह से पेंट किया हुआ होगा।

4. "लेग पाईप का आउटर डायमेंशन 25 एम0एम0 एवं मोटाई 16 एम0एम0 का आई0एस0 1161/1998 (एमेन्डमेंट नं0–1) गुणस्तर का होगा, जिसमें पौन इंच का वाटर प्रुफ प्लाई बुड ग्रीन–

Ply Board IS-303/710BWP/BWR Grade
अथवा
Black Board IS-1659BWP/BWR Grade के

टॉप का अंतिम आकार 1980x910x460 एम0एम0 का होगा।

5. ऐंगल फ्रेम में प्लाईबुड हेक्सागोनल ग्लेबेनाईज्ड नट एवं बोल्ट से कसा होगा।

6. बेड का लेग मोड़ने वाले होना चाहिए तथा मोड़ने के लिए 20x5 एम0एम0 की दो पट्टियाँ मेन फ्रेम से लगी होगी।

7. चारो लेग पर मच्छड़दानी के लिए डंटा लगाने का प्रावधान होगा।

8. लेग के निचले भाग में पी0वी0सी0 या हार्ड रबर के मजबूत शूज लगे रहेगें।

निविदा के नियमों, शर्तो की जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में, राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक के कार्यालय, बिहार, पटना के दूरभाष सं0–0612–2222020 पर सम्पर्क किया जा सकता है, कार्यालय के सूचना पट तथा वेबसाईट www.home.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

D:Rakesh sir Tender

निविदा संख्या–03/2017–18 के नियम एवं शर्त

1. इन मदो में निविदायें सिर्फ बिहार में स्थित इकाईयों या राज्य के बाहर उत्पादनरत इकाईयों के स्थानीय कॉरपोरेट कार्यालय/स्थानीय कार्यालय/विक्रेता/एजेंट/आपूर्तिकर्ता/प्राधिकृत डीलर के द्वारा ही दी जाएगी। लेकिन सफल निविदादाताओं को क्रयादेश के पहले बिहार वाणिज्य कर में निबंधन का प्रमाण पत्र देना होगा। अधिकृत विक्रेता/प्राधिकृत डीलर या एजेंट को उनके उत्पादनकर्त्ता फर्म का प्राधिकार पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

2. 1(एक) नमूना निविदा के साथ बिहार अग्निशमन सेवा का केन्द्रीय भंडार अग्निशामालय, पटनासिटी में समर्पित करना अनिवार्य होगा। नमूना समर्पित नहीं करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. वित्तीय वर्ष–2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 का आयकर रिटर्न ट्रेडिंग अकाउँन्ट /प्रोफिट एण्ड लॉस आकाउँन्ट एवं बैलेंस शीट का अभिप्रमाणित प्रति किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड अकाउँटेन्ट से सत्यापित कराकर (मुहर सहित)निविदा के साथ समर्पित की जाए।

4. सभी मदों के लिए निविदा दो भागों में–(1)तकनीकी भाग तथा (2) वित्तीय भाग के रूप में ली जाएगी।

5. तकनीकी भाग में सभी आवश्यक कागजात (टेक्नो–कमर्सियल प्रोफाईल), वार्षिक टर्न ओवर तथा अन्य शर्त्तो का प्रमाण पत्र, आपूर्ति से संबंधित शर्तें, अग्रधन की वांछित राशि आदि अन्य सभी आवश्यक सूचनाएँ संलग्न कर समर्पित करेंगे।

6. वित्तीय भाग में सिर्फ मद का दर सभी कर सहित अंकित करेंगे। अंकित दर में कोई कटिंग/ओवरराईटिंग मान्य नहीं होगा तथा ऐसी निविदा को अस्वीकृत किया जा सकेगा। मद के लिए वित्तीय भाग अलग लिफाफा में बंद कर उसके उपर मद का नाम लिखकर एक लिफाफे में बंद कर देना होगा।

7. तकनीकी भाग एवं वित्तीय भाग दो अलग–अलग लिफाफे में सीलबंद रहेंगे तथा दोनों लिफाफों के उपर निविदा सं0–03/2017–18 का तकनीकी भाग तथा निविदा सं0–03/2017–18 का वित्तीय भाग अंकित रहेगा। इन लिफाफों पर फर्म का नाम एवं पता अंकित रहेगा । **ये दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सीलबंद रहेंगे जिसके उपर सिर्फ निविदा सं0–03/2017–18 अंकित रहेगा। फर्म का नाम एवं पता इस पर अंकित नहीं रहेगा।**

8. नमूना पर क्रय दर किसी भी परिस्थिति में अंकित नहीं किया जाएगा।

9. फर्म द्वारा समर्पित निविदा के तकनीकी भाग तथा नमूने की जाँच केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की जाएगी। फर्मों को तकनीकी सह उपयोगकर्त्ता समिति के समक्ष आवश्यकतानुसार उपस्थित होने हेतु आमंत्रित भी किया जा सकता है । फर्म के उत्पादन इकाई का आवश्यकतानुसार निरीक्षण भी किया जा सकता है। जिस फर्म के तकनीकी भाग तथा समर्पित नमूने से केन्द्रीय क्रय समिति संतुष्ट होगी उसी फर्म का वित्तीय भाग समिति के समक्ष खोला जाएगा। उक्त अवसर पर उपस्थित होने हेतु फर्म के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाएगा।

10. निविदादाता निविदा अपने फर्म के लेटर पैड पर दे सकते हैं लेकिन निविदा मूल्य के रूप में बैंक ड्राफ्ट निम्नलिखित मूल्य तालिका के अनुसार राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना के पदनाम् से बनाकर निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। (निविदा लागत मूल्य 10000/–रू0 तक 50/–रू0, 50000/– तक–250/–रू0, 250000/–रू0 तक 500/–रू0, 500000/–रू0 तक 750/–रू0, 1000000/–रू0 तक 1250/–रू0, 1500000/–रू0 तक 2500/–रू0, 5000000/–रू0 तक 5000/–रू0, एवं 5000000/–रू0 से अधिक–10000/–रू0) । जिन निविदादाताओं ने वर्त्तमान वित्तीय वर्ष (2017–18) में 10000/–रू0 की निविदा मूल्य जमा की है उन्हें निविदा मूल्य जमा नहीं करना होगा ।

11. आई0एस0 स्पेसिफिकेशन के मदों का नमूना किसी भी भारतीय मानक व्यूरों/एन0ए0बी0एल0 से जाँच कराकर, एजेंसी का टैग एवं सील लगाकर समर्पित करना होगा। साथ ही वह प्रयोगशाला भारत मानक व्यूरो/एन0ए0बी0एल0 से मद की जाँच हेतु मान्यता प्राप्त है। इसका प्रमाण–पत्र एवं जाँच प्रतिवेदन मूल में भी समर्पित करना होगा।

12. निविदा के तकनीकी भाग निर्धारित समय एवं तिथि को गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय में खोला जायेगा। उक्त अवसर पर निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

13. आपूरित मद का निरीक्षण किस संस्था एवं किस रीति से कराया जाएगा इसका निर्णय विभाग लेगा जो फर्म पर बाध्यकारी होगा। मदों की जाँच के दौरान संबंधित खर्च निविदादाता स्वयं वहन करेंगे तथा इस जांच में हुए किसी प्रकार की विलम्ब के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

14. प्रत्येक निविदाकृत मद के लिए मात्र एक दर (सभी कर सहित) स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। निविदा में अस्पष्ट सूचना यथा "कर आवश्यकतानुसार" इत्यादि अंकित नहीं होना चाहिए।

15. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में कुल राशि 1,55,000/–(एक लाख पचपन हजार रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/नेशनल सेविंग पास बुक/एन0एस0सी0 के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम बंधित कर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी पूर्व वर्ष या पूर्व में जमा अग्रधन/प्रतिभूतिधन इस निविदा के अग्रधन के रूप में समायोजित नहीं किया जाएगा। बिहार स्थित लघु उद्योग इकाईयों को अग्रधन देने की आवश्यकता नहीं होगा।

16. मद की आपूर्ति बिहार अग्निशमन सेवा के केन्द्रीय भंडार अग्निशामालय, पटनासिटी में निष्प्रभार ली जाएगी। आपूरित मद तब तक स्वीकृत नहीं समझा जाएगा, जबतक कि निरीक्षण समिति मदों को निरीक्षण के पश्चात स्वीकार करने योग्य घोषित नहीं कर देती है। अस्वीकृत मद की सूचना प्राप्त होने पर निविदादाता को स्वयं अपने खर्च से उक्त मद वापस ले जाना होगा।

17. निविदा के साथ अद्यतन आयकर रिटर्न, पैन नम्बर तथा निमार्णकर्ता/ट्रेडर इत्यादि होने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करेंगे।

18. मदों के लिए व्यक्त दर संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च–2018 तक के लिए मान्य होगा। 31 मार्च–2018 से कम अवधि के लिए व्यक्त दर मान्य नहीं होंगे ।

19. अगर निविदा अधिकृत विक्रेता या एजेंट द्वारा समर्पित की जाती है तथा उनकी निविदा स्वीकृत होती है तो एकरारनामा के सम्पादन में निविदाकर्त्ता को एक साक्षी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साथ ही निविदाकर्ता को प्राधिकृत करने वाली उत्पादनकर्त्ता इकाई द्वारा निविदाकर्ता के नाम से निर्गत प्राधिकृत पत्र (Authorization Letter)निविदाकर्त्ता द्वारा समर्पित करना अनिवार्य होगा। निविदाकर्त्ता एवं साक्षी द्वारा पहचान पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति भी समर्पित करना अनिवार्य होगा।

20. निविदादाता ने अपनी निविदा के तकनीकी भाग में कौन–कौन से अनुलग्नक संलग्न किए है उसकी सूची का उल्लेख फर्म के लेटर पैड पर करना अनिवार्य होगा तथा यह भी प्रमाण पत्र देना होगा कि अनुलग्नित सभी कागजात उनके जानकारी के अनुसार सत्य है।

21. निविदा खुलने के पश्चात् निविदा से संबंधित किसी प्रकार का कागजात एवं नमूना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

22. निविदा में भाग लेने वाले फर्म इस आशय का Affidavit जमा करेंगे कि "उनका फर्म किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निजी संस्था द्वारा Black Listed/Debarred नहीं किया गया है एवं Sister Concern द्वारा इस निविदा में भाग नहीं लिया जा रहा है।

23. निविदा से संबंधित न्यायिक प्रक्रिया का निष्पादन भारतीय कानुन के अन्तर्गत पटना (बिहार) में होगा।

24. महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर दे या निर्धारित मदों में आवश्यकतानुसार वर्णित मात्रा को घटा दे या बढ़ा दें।

(हस्ताक्षर)

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।